UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679 E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक ५२५१ / ३६सी दिनांक रानीखेत ०७/११/ ,2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में तिमिलटनौला आरूसारी विरोट भीमीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 0.945 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1369/IX–3–20/1(153)/2020 दि. 22.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.3 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में निहित प्राविधानो द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए निम्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी है, जो निम्नवत है :–

क्र. सं.	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को) समाहित कर संशोधित धनराशि जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0ए0 566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान एन0पी0वी0 की धनराशि रू 620865.00 जमा कर दी गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात की निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशों के अनुसार एन0पी0व0 तथा सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कारपोरेशन बैक ब्लाक 11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–। लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त पावती की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	विभाग द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक की आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	विभाग द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शत्र का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी शर्तो का पालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौध लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	विभाग द्वारा पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर मलुवे का निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से निचे न गिरे तथा मलुवे निस्तारण डम्पिंग यार्ड में किया जायेगा तथा मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों को कोई नुकसान व वृक्षो की कटाई नही की जायेगी।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनके संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षो का कटान प्रस्ताव के अनुसा दिये गये वृक्षों से अधिक वृक्षों का कटान नही किया जायेगा। वृक्षों का कटान वृक्षों की लागत जमा वन विकास निगम में करने के उपरान्त किया जायेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 5 प्रति।

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक ५२५१ /36सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में तिमिलटनौला आरूसारी विरोट भीमीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु 0.945 है0 भूमि होने के कारण आवश्यकता नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभ
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में तिमिलटनौला आरूसारी विरोट भीमीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि शुद्ध एन0पी0वी0 की शुद्ध मूल्य की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभा
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में तिमिलटनौला आरूसारी विरोट भीमीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार के दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित धनराशि विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में तिमिलटनौला आरूसारी विरोट भीमीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार एन0पी0वी0 तथा अन्य निधियों की धनराशि निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0 25229 कार्पोरेशन बैंक में कुल रू 758965.00 जमा कर दिया गया है। पावती रसीद संलग्न है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत

Ameen

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः 1369 /X-3-20/1(153)/2020

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2020

विषयः जनपद अल्मोड़ा में तिमिलटनौला–आरूसारी–विराट–भीभीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–743/FP/UK/ROAD/18882/2016, दिनांक 05 सितम्बर, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद अल्मोड़ा में तिमिलटनौला–आरूसारी–विराट–भीभीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति**, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.3 में दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :--

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के

क्रमशः 2

Scanned with OKEN Scanner

(2)

पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार य
अपर सचिव।

संख्याः — (1)/X-3-20/1(153)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रा कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाईल।

कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा
संख्या 51 /स्वीकृति- LAC/20-21, दि0 16/01/21
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा,
2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत,

(विजय कुमा
अपर स

अपर जिलाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

भू गर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या/आर.सी.यू./सड़क/कुमायूं/2015

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत तिमिल टनौला से तलाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 6.00 किमी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जुलाई, 2015

Scanned with OKEN Scanner

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के त तिमिल टनौला से तलाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 6.00 किमी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

ना:

ान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के उपखण्ड/रामनगर के अधीन तिमिल टनौला से तलाई ोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 31.07.2015 को ई0 के0जी0 गोस्वामी, ापर सहायक अभियन्ता, उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण– स्थल की रचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि स्तावित भू–भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

प्रस्तावित सड़क संरेखन तिमिल–टनौला निमार्णाधीन मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है वं 6.00 किमी. की लंबाई के पश्चात तामाढौल–सटेड–केदार– प्रस्तावित मोटर मार्ग से प्राइमरी पाठशाला हिग्यारी के पास जुड जाता है।

स्थिति:

प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमायूँ क्षेत्र में स्थित है स्तावित भू–भाग में अल्मोडा किस्टलाइन समूह के सरयू फारमेशन की चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं जो न बेडेड क्लोराइट सिस्ट, क्वार्टजाइट तथा गाइनेरीफेरस क्लोराइट सिस्ट के साथ इण्टरबेडेड हैं। इन ट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

130 – 310	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	57^0 उत्तर पूर्व	नति
120 – 300	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	56^0 उत्तर पूर्व	नति
120 – 300	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	52^0 उत्तर पूर्व	नति
130 – 310	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	40^0 उत्तर पूर्व	नति
130 – 310	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	36^0 उत्तर पूर्व	नति
120 – 300	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	48^0 उत्तर पूर्व	नति
70 – 250	उत्तर पूर्व	– दक्षिण पश्चिम	50^0 दक्षिण पूर्व	ज्वाइंट प्लेन
130 – 310	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	30^0 उत्तर पूर्व	ज्वाइंट प्लेन
120 – 300	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	26^0 दक्षिण पूर्व	ज्वाइंट प्लेन
70 – 250	उत्तर पूर्व	– दक्षिण पश्चिम	68^0 उत्तर पश्चिम	ज्वाइंट प्लेन
40 – 220	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	90^0 वर्टिकल	ज्वाइंट प्लेन
130 – 310	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	26^0 दक्षिण पश्चिम	ज्वाइंट प्लेन
40 – 220	उत्तर पूर्व	– दक्षिण पश्चिम	40^0 दक्षिण पूर्व	ज्वाइंट प्लेन
120 – 300	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	54^0 दक्षिण पश्चिम	ज्वाइंट प्लेन
180 – 360	दक्षिण	– उत्तर	84^0 पश्चिम	ज्वाइंट प्लेन
60 – 240	उत्तर पूर्व	– दक्षिण पश्चिम	70^0 उत्तर पश्चिम	ज्वाइंट प्लेन
30 – 210	उत्तर पूर्व	– दक्षिण पश्चिम	64^0 दक्षिण पूर्व	ज्वाइंट प्लेन
130 – 310	दक्षिण पूर्व	– उत्तर पश्चिम	26^0 दक्षिण पश्चिम	ज्वाइंट प्लेन

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू भाग में स्थित ट्टाने 36^0 से 57^0 से मध्य उत्तर पूर्व दिशा की ओर झुकी है एवं इन चट्टानों पर 5 सेट से अधिक ाइन्ट प्लेन विकसित हुए है।

Scanned with OKEN Scanner

ल वर्णन:

प्रस्तावित सड़क संरेखन तिमिल–टमौला मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु, से प्रारम्भ होता है। रेखन पहाडी के उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी ढलान पर प्रस्तावित है। यह क्षेत्र सामान्य/मध्यम से उच्च ढलान की श्रेणी के अन्तर्गत है। यह सडक संरेखन –टनौला गांव में नीचे की ओर स्थित पहाडी से होकर महिंग्यारी गांव के पीछे की स्थित पहाडी कर प्राइमरी पाठशाला महिंग्यारी के पास प्रस्तावित तामाढौन–सटेड–केदार सडक संरेखन से ाता है।

	सड़क संरेखन का ग्रेडिएण्ट			0.00	–	0.550	किमी. तक 1:24 के फाल
– 0.950	किमी.	1 : 22	के फाल,	0.950	–	0.975	किमी. तक लेवल
– 1.025	किमी.	1 : 60	के फाल,	1.025	–	1.400	किमी. तक 1:22 का फाल
– 1.450	किमी.	1 : 60	के फाल,	1.450	–	1.550	किमी. तक 1:22 का फाल
– 1.600	किमी.	1 : 60	के फाल,	1.600	–	2.600	किमी. तक 1:22 का फाल
– 5.725	किमी.	तक लेवल		5.725	–	6.750	किमी. तक 1:24 के फाल
– 6.975	किमी.	तक लेवल		6.975	–	7.250	किमी. तक 1:24 के फाल

ावित है। सडक संरेखण के भाग में 3 हेयरपिन बेण्डस किमी. 1.000 किमी. 1.425 एवं 1.600 पर प्रस्तावित है। इस संपूर्ण संरेखण पर 6 सूखे नाले एवं 1 पेरिनियल नाला विद्यमान

रेखन निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित होना प्रतीत होता है। प्रस्तावित ग की भूगर्भीय स्टेट्रीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत

डेब्रिज

गारनेटीफेरस क्लोराइट सिस्ट

क्वार्ट्जाइट

सिरिसाइट सिस्ट

गारनेटीफेरस क्लोराइट सिस्ट

क्वार्ट्जाइट

Scanned with OKEN Scanner

ईत्व का विचारः

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1 यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2 प्रस्तावित संरेखन में 6 सूखे एवं 1 पेरिनियल नाला हैं।
3 पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम एवं उच्च ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है।
4 संरेखन का भाग निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5 यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन IV के अन्तर्गत है।
6 सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:24 के राइज, 1:20 के राइज, 1:20 के राइज, 1:24 के फाल, 1:35 के राइज 1:50 के फाल, 1:20 के फाल एवं 1:24 के राइज में प्रस्तावित है।
7 संरेखन का कुछ भाग कृषि भूमि से भी होकर गुजरता है।
8 इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्टानें क्लोराइट सिस्ट की हैं।
9 इस सड़क संरेखन में 3 हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित हैं।

झावः

उपरोक्त सड़क संरेखन के भू भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न लिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1 सूखे नालों पर स्कपर/कल्वर्ट का निर्माण किया जाय।
2 पेरिनियल नालों पर कॉजवे का निर्माण किया जाय।
3 पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
4 भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
5 अन्य आवश्यक उपाय जो सड़क निर्माण में आवश्यक हो अवश्य किये जाय।
6 आवश्यकतानुसार खेतों पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
7 गांव के आस पास मार्ग निर्माण के समय बिस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
8 पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गो के निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

ष्कर्षः

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तिमिल टनौला से तलाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 6.00 किमी0 लंबाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

ीः सड़क संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया।

(डा0 आर0 सी0 उपाध्याय)
भू वैज्ञानिक
(डॉ० आर.सी. उपाध्याय)
भूवैज्ञानिक
हिमाद्री-भ्यू, रानीधारा टाप
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नाम :— प्रपत्र—23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैण/स्याल्दे
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, स्याल्दे

भौगोलिक तल्लाकोट उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत तिमिलटचौला - आरकस्यारी - विरोट (हे0 आरक्षित वन भूमि 0.135 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.81 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.945 हे0 वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्याल्दे) की दिनांक 20-०८-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच0के0 वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री एच0के0 वर्मा उपजिलाधिकारी स्याल्दे अध्यक्ष
2— श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य
3— श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्याल्दे सदस्य/सचिव
4— श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तिमिलटचौला आरकस्यारी - विरोट - भौगोलिक होते हुए तल्लाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना हेतु 0.945 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सत्यापित प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रपत्र—23.1

दिनांक 20-10-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible], तिखिलसोली, विरोद, तराइ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] जोशी	[illegible]
2	[illegible] जोशी	[illegible]
3	[illegible] चन्द्र जोशी	[illegible]
4	[illegible] जोशी	Prakash
5	[illegible] कापड़ी	[illegible]
6	[illegible] कापड़ी	[illegible]
7	[illegible] चन्द्र जोशी	[illegible]
8	[illegible] जोशी	[illegible]
9	[illegible] जोशी	[illegible]
10	[illegible] चन्द्र जोशी	[illegible]
11	[illegible] जोशी	Surathchand
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible] सिंह	[illegible]
14	[illegible] चन्द्र जोशी	[illegible]
15	[illegible] लाल जोशी	[illegible]
16	[illegible] जोशी	[illegible]
17	[illegible] देवी	[illegible]
18	[illegible] देवी	[illegible]
19	[illegible] देवी	[illegible]
20	[illegible] देवी	[illegible]

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत [illegible]
वि0 ख0 [illegible] (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड [illegible]

परियोजना का नाम :- प्रपत्र-28.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैण/स्याल्दे

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, स्याल्दे

भीमीशिला तलाई तक (उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत तिमिलटनौला - आरकस्यारी - विरोट (—— है0 आरक्षित वन भूमि, 0.135 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.81 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.945 है0 वन भूमि). का —— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्याल्दे) की दिनांक 20-[illegible]-2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच0 के0 वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री एच0 के0 वर्मा उपजिलाधिकारी स्याल्दे अध्यक्ष

2— श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य

3— श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य/सचिव

4— श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तिमिलटनौला, आरकस्यारी - विरोट - भीमीशिला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 0.945 है0 वन भूमि प्रान्तीय - स्याल्दे लो0 नि0 वि0 विभाग —— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

बैठक में सर्वसम्मति [illegible] उपखण्ड ______ परिक्षेत्र के अन्तर्गत है0 वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

छायाप्रति [illegible]

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– [illegible] अल्मोड़ा में [illegible] आरख्यारी बिरोट होते हुए [illegible] तक मोटर मार्ग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित [illegible] – आरख्यारी बिरोट मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.945 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ~~ओ0एफ0सी0 केबिल~~ व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

छायाप्रति प्रमाणित
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

जिलाधिकारी

73

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :... **Dated:** 15-01-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..0.945.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction....of Motor Road from Tinil tanola - Aarusthara - Virot ...Bheemateela..

(Purpose for diversion of forest land) in....Almora.district falls within jurisdiction of.Malas...village(s) in..Syalde......Tehsils.

gyari

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.945.Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

छाया प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक नि० वि०
रानीखेत

D.M.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

It is certified that – minutes of meeting for **Construction of** Timiltona Aansaari Motor Road...

under Provincial Division, PWD, Ranikhet in the state of Uttarakhand regarding FRA is as Following :-

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.945...... *hec.* of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

मुख्य समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

छायाप्रति प्रमाणित
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

जिलाधिकारी Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

Scanned with OKEN Scanner

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date......15-01-2016..........at time........3:15 PM..........at Almora. in which application claiming rights of :................................. area measuring ..0.945.. hect. for the Construction of ..Motor Road from Tiniltanola - Aarusari - Vikot........ of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

रानीखेत

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector) जिलाधिकारी

अल्मोड़ा

4	FP/UK/ROAD/9399/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9399/2015) Construction of motor road to kargil shaheed Anand singh rawat village's Giwalpani	ROAD93992015542	6193990542	21 Sep 2016	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 0/-, Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Additional NPV : 584993/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 584993/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Feb 2023 Transaction Date : 01 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040220231323010352_FPUKROAD93992015_User_Fund_Demanded_66093.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD93992015542)
5	FP/UK/ROAD/16265/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16265/2015) Deghat Talli Narayan Mandir Malbheedha Dharkot Shera Munani Malikhet Nagchulakhal Motor Road.	ROAD162652015781	6116265781	03 Dec 2020	CA: 3913016/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 3464426/-, Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 7377442/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Aug 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 04 Aug 2022 Transaction Date : 23 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/130720221228445148_FPUKROAD162652015_User_Fund_Demanded_87838.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD162652015781)
6	FP/UK/ROAD/18882/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18882/2016) Timiltona Aarusari Virot Bhemitola Talayi Motor Road.	ROAD188822016775	6118882775	22 Dec 2020	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 620865/-, Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Plantation scheme of 10 times trees : 133100/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 753965/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 08 Mar 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Mar 2022 Transaction Date : 31 Mar 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/070320221333086042_FPUKROAD188822016_User_Fund_Demanded_894H3.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD188822016775)
7	FP/UK/ROAD/39247/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39247/2019) Construction of Era Jorasi motor road	ROAD392472019693	6139247693	21 Jun 2021	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 635648/-, Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- plantation of 100 trees : 146400/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 782048/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Feb 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Feb 2022 Transaction Date : 21 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/160220221241546767_FPUKROAD392472019_User_Fund_Demanded_54809.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD392472019693)

Scanned with OKEN Scanner